

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
499/2024

दायर दिनांक
23.07.2024

निर्णय दिनांक
16.08.2024

उनवान

1. प्रेम पत्नी स्व० उरजण जाट निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. बन्शी पिता उरजण जाट निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. रामेश्वर पिता उरजण जाट निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. रडमल पिता मांगु रेबारी निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. सांवर लाल पिता गोपाल जाट निवासी महुआखुर्द तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. धर्मा पिता मांगु रेबारी निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. अशोक पिता गणेश रेबारी निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. कमला पत्नी सबु रेबारी निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. राजु पिता लादु जाट निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7. जगदीश पिता चन्द्रा जाट निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
8. गोपाल पिता चन्द्रा जाट निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
9. धन्ना पिता श्रीकिशन जाट निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
10. भंवर पिता देबी लाल जाट निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
11. बालु पिता रामलाल जाट निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
12. कमला पत्नी रामलाल जाट निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
13. मदन पिता रामलाल जाट निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
14. रामेश्वर पिता मगना खाती निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
15. देबीलाल पिता मगना खाती निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
16. रतन पिता अमरचन्द जाट निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
17. गणेश पिता भागु जाट निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
18. बद्री लाल पिता गोपी रेबारी निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
19. सुवा पिता गोपी रेबारी निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
20. सुगना पत्नी शंकर रेबारी निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
21. मांगु पिता नारायण रेबारी निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
22. जमना पिता भेरु जाट निवासी लापिया तह० बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
23. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
24. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सरदारनगर तह० सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

Ahad

-विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी के० के० जीनगर
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 22 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम :-


-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लापिया प०ह० बबराणा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआखुर्द तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 के खाता संख्या 173 की अभिलिखित आराजियात 1241, 1242, 205, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 961 कुल किता 18 कुल रकबा 4.0343 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 22 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सवाईपुर को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा लापिया प०ह० बबराणा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआखुर्द तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 के खाता संख्या 173 की अभिलिखित आराजियात 1241, 1242, 205, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 961 कुल किता 18 कुल रकबा 4.0343 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार सवाईपुर को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार सवाईपुर को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आब्दाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा